

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

प्रेषक,

पत्रांक- 131

दिनांक- 3/2/22

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
मानगो।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मानगो नगर निगम,
जमशेदपुर।

विषय:-

राकेश कुमार अग्रवाल पिता श्री घनश्याम अग्रवाल द्वारा धारित भूमि का सत्यापन से संबंधित सशोधित पत्र के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक- 14, दिनांक- 07.01.2022 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 87, दिनांक- 29.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातों के साथ जाँच कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा- अ0क्षे0 मानगो वार्ड नं0- 09, खाता नं0- 551, प्लॉट नं0- 1962, रकवा- 0.21 डि0 प्लॉट नं0- 1963, रकवा- 0.45 डि0, खाता नं0- 309, प्लॉट नं0- 1964, रकवा- 0.28 डि0, प्लॉट नं0- 1964, रकवा- 0.59 डि0, कुल रकवा- 1.53 डि0 भूमि पंजी II भाग वर्तमान- 107 पृष्ठ संख्या- 90 पर RAKESH KUMAR AGARWAL पिता GHANSHYAM AGARWAL के नाम पर जमाबंदी कायम है, एवं खाता नं0- 551, प्लॉट नं0- 1963, रकवा- 0.95 डि0, प्लॉट नं0- 1962, रकवा- 2.07 डि0, कुल रकवा- 3.02 डि0 भूमि पंजी II भाग वर्तमान- 36 पृष्ठ संख्या- 46 पर राकेश अग्रवाल पिता घनश्याम अग्रवाल के नाम पर जमाबंदी कायम है, दोनो जमाबंदी का कुल रकवा- 4.55 डि0 हाल सर्वे 1979 के खतियान में उक्त खाता नं0- 309, में यह भूमि पंचानन चौधरी पिता हरिपद चौधरी, अमर चौधरी पिता मनसा चौधरी एवं खाता नं0- 551, सुलेखा देवी पति रामचन्द्र मिश्रा के नाम पर दर्ज हैं, जो C.N.T. ACT 46 के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित

विश्वासभाजन



अंचल अधिकारी

मानगो।